



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082022-238474
CG-DL-E-31082022-238474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587]
No. 587]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2022/भाद्र 7, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2022/BHADRA 7, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 663(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के साथ पठित धारा 2 के खंड (31), धारा 73 और धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में,-

(क) नियम 16 में, “कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से संपरीक्षित होगी”, शब्दों के पश्चात्, “और उस आशय की घोषणा लेखापरीक्षक द्वारा प्ररूप डीपीटी 3 में प्रस्तुत की जाएगी।” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपाबंध में, प्ररूप डीपीटी 3 और डीपीटी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“प्ररूप डीपीटी-3 जमा की विवरणी [कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 16 और 16क के अनुसरण में]		प्ररूप की भाषा ☐ अंग्रेजी ☐ हिंदी
--	---	---

प्ररूप भरने के लिए निर्देश देखें

के रूप में अंकित स्थानों को भरना अनिवार्य है।

कंपनी सूचना

- *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) _____
- (क) *कंपनी का नाम _____
(ख) *रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता _____
(ग) *ई-मेल आईडी _____
- *प्ररूप का प्रयोजन
 - ☐ जमा की विवरणी
 - ☐ किसी कंपनी द्वारा संव्यवहारों का विवरण जिसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ग) के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना गया है।
 - ☐ किसी कंपनी द्वारा जमा की विवरणी और संव्यवहारों का विवरण जिसे जमा नहीं माना गया है।
 - ☐ कंपनी द्वारा प्रदत्त बकाया धन या ऋण के विवरण का प्रकटीकरण के लिए एकमुश्त वापसी, लेकिन कंपनी नियम, 2014 के नियम 2 (1) (ग) के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना जाता है।
- *क्या कंपनी है ☐ सार्वजनिक कंपनी ☐ निजी कंपनी
- *क्या कंपनी सरकारी कंपनी है ☐ हां ☐ नहीं
- *कंपनी के उद्देश्य _____
- क्या पब्लिक द्वारा जमा को स्वीकृत किया गया? _____
- (क) * अवधि जिसके लिए रिटर्न फाइल किया जा रहा है (तारीख/माह/वर्ष) _____
(ख) विज्ञापन व परिपत्र जारी करने की तारीख (तारीख/माह/वर्ष) _____
(ग) विज्ञापन या परिपत्र की वैधता समाप्त होने की तारीख (तारीख/माह/वर्ष) _____
- विवरणी की तारीख से पहले लेखापरिक्षित अंतिम तुलन पत्र के अनुसार निवल मूल्य-

क्रम सं.	विवरण	रकम (रुपयों में)
(क) (i)	प्रदत्त शेयरपूँजी	
(ii)	मुक्त आरक्षितियां	
(iii)	प्रतिभूति प्रीमियम लेखा	
(ख) (i)	संकलित हानि	
(ii)	स्थगित राजस्व व्यय का शेष	
(iii)	उपलब्ध न कराया गया कुल अवमूल्यन	
(iv)	विविध व्यय और प्रारंभिक खर्च	
(v)	अन्य अमूर्त आस्तियां	
(ग)	निवल मूल्य (क) – (ख)	
(घ)	जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् निर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी कंपनियों के मामले में उपर्युक्त का 35%)	

10. (क) 01 अप्रैल को जमाधारकों की कुल संख्या _____

(ख) वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा धारकों की कुल संख्या _____

11. जमा का विवरण (रुपयों में)

(क) 01 अप्रैल को वर्तमान जमा रकम _____

(ख) वर्ष के दौरान नवीकृत जमा रकम _____

(ग) वर्ष के दौरान स्वीकृत नई जमा रकम _____

(ग) (i) प्रतिभूत जमा _____

(ii) अप्रतिभूत जमा _____

(घ) वर्ष के दौरान लौटाई गई जमा रकम _____

(ड.) वर्ष के अंत में बकाया जमा का शेष _____

12. (क) जमा रकम जो परिपक्व हो गई है परंतु जिसका दावा नहीं किया गया _____

(ख) जमा रकम जो परिपक्व हो गई है और जिसका दावा किया गया, परंतु भुगतान नहीं किया गया _____

13. नकद आस्तियों का विवरण

(क) वित्तीय वर्ष के अंत में परिपक्व होने वाली जमा रकम और आने वाले आगामी वर्ष में परिपक्व होने वाली जमा रकम _____

(ख) नकद आस्तियों में निवेश करने के लिए अपेक्षित राशि _____

(ग) नकद आस्तियों का विवरण

(ग) (i) किसी अधिसूचित बैंक में प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त चालू या अन्य जमा खाते में राशि

(ii) केंद्रीय/राज्य सरकार की विल्लंगम रहित प्रतिभूतियां मूल्य _____

प्राक्ष्य मूल्य _____

बाजार मूल्य _____

(iii) विल्लंगम रहित न्यास प्रतिभूतियां _____

प्राक्ष्य मूल्य _____

बाजार मूल्य _____

14. प्रभार का विवरण

(क) प्रभारों की संख्या _____

(ख) सीएचजी-1 / सीएचजी- 9 का एसआरएन प्रभार सृजन के लिए फाइल _____

15. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी द्वारा उस धन या ऋण की प्राप्ति का विवरण जिसे जमा नहीं माना गया

विवरण	ऋण का विवरण (रु. में)					ऋण की अवधि (वर्षों में)		
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
	(i)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(vii)	(VIII)
से प्राप्त कोई भी राशि –								
(i) केन्द्र सरकार; या								
(ii) राज्य सरकार; या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई भी राशि जिसकी पुनर्भुगतान केन्द्र सरकार								

या राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है; या								
(iii) स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त कोई भी राशि; या								
(iv) संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधान-मंडल के अधीन गठित सांविधिक प्राधिकारी से प्राप्त कोई राशि								
से प्राप्त कोई भी राशि – (i) विदेशी सरकारें; या								
(ii) विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय बैंक;								
(iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं;								
(iv) विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली विकास वित्तीय संस्थाएं;								
(v) विदेशी								

निर्यात ऋण एजेंसियां;								
(vi) विदेशी सहयोगी;								
(vii) विदेशी निकाय कारपोरेट;								
(viii) विदेशी नागरिक;								
(ix) विदेशी प्राधिकारियों या;								
(x) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों के अध्यधीन भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति।								
के रूप में प्राप्त कोई भी राशि - (i) किसी भी बैंकिंग कंपनी से ऋण या सुविधा; या								
(ii) भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी सहायक बैंक से; या								
(iii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम,								

1949 (1949 का 10) की धारा 51 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बैंकिंग संस्थान से; या (iv) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित तदनुसूची नया बैंक; या								
(v) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ख- ii) में यथा परिभाषित सहकारी बैंक से।								
ऋण या वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त कोई भी राशि से – (i) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित								

सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं; या								
(ii) कोई भी क्षेत्रीय वित्तीय संस्था; या								
(iii) बीमा कंपनियां; या								
(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक।								
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या अधिसूचना के अनुसार जारी वाणिज्यिक पत्र या किसी अन्य लिखत जारी करने के खिलाफ प्राप्त कोई भी राशि।								
किसी अन्य कंपनी से कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि।								
किसी भी प्रतिभूति के लिए अंशदान के लिए अधिनियम के								

प्रावधानों के अनुसार प्राप्त और धारित कोई भी राशि, जिसमें शेयर आवेदन धन या आवंटन लंबित प्रतिभूतियों के आवंटन की दिशा में अग्रिम शामिल है, जब तक कि ऐसी राशि केवल के लिए आवेदन की गई प्रतिभूतियों के आवंटन पर देय राशि के खिलाफ विनियोजित की जाती है।								
किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कोई भी राशि, जो राशि की प्राप्ति के समय, कंपनी का निदेशक या किसी निजी कंपनी के निदेशक का रिश्तेदार था।								
(ए) कंपनी की अमूर्त परिसंपत्तियों को छोड़कर अधिनियम की अनुसूची III में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति पर								

पहले शुल्क के साथ पहले शुल्क या चार्ज रैंकिंग पारी पास द्वारा सुरक्षित बांड या डिबेंचर के मुद्दे द्वारा जुटाई गई कोई भी राशि; या								
(बी) बांड या डिबेंचर अनिवार्य रूप से दस वर्षों के भीतर कंपनी के शेयरों में परिवर्तनीय।								
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों के मुद्दे द्वारा जुटाई गई कोई भी राशि जो कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार का गठन नहीं करती है और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए लागू विनियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होती है।								
कंपनी के								

किसी कर्मचारी से प्राप्त कोई भी राशि जो गैर-ब्याज वाले प्रतिभूति जमा की प्रकृति में कंपनी के साथ रोजगार के अनुबंध के तहत अपने वार्षिक वेतन से अधिक नहीं है।								
किसी भी गैर-ब्याज वाली राशि प्राप्त और ट्रस्ट में रखी गई।								
कंपनी के व्यवसाय के दौरान या उसके प्रयोजनों के लिए प्राप्त कोई भी राशि- (i) माल की आपूर्ति के लिए अग्रिम के रूप में या सेवाओं के प्रावधान के लिए किसी भी तरीके से जिम्मेदार है बशर्ते कि इस तरह के अग्रिम को माल की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधान के खिलाफ ऐसी								

अग्रिम की स्वीकृति की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिनों की अवधि के भीतर विनियोजित किया जाता है।								
(ii) किसी समझौते या व्यवस्था के तहत अचल संपत्ति के लिए विचार के संबंध में प्राप्त किसी भी तरीके से जो भी अग्रिम के लिए जिम्मेदार है, बशर्ते कि इस तरह की अग्रिम समझौते या व्यवस्था की शर्तों के अनुसार ऐसी संपत्ति के खिलाफ समायोजित की जाती है।								
(iii) माल की आपूर्ति के अनुबंध या सेवाओं के प्रावधान के निष्पादन के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में।								

(iv) कंपनी (जमाराशियों की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के नियम (2) के उप-नियम (1) के उप-नियम								
(1) के मद (बी) के तहत कवर किए गए उत्पादों को छोड़कर पूँजीगत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं के तहत प्राप्त अग्रिम के रूप में।								
(v) लिखित करार के अनुसार वारंटी अथवा अनुरक्षण संविदा के रूप में भावी सेवाएं प्रदान करने के लिए विचार करने की दिशा में अग्रिम के रूप में, यदि ऐसी सेवाएं प्रदान करने की अवधि सामान्य व्यवसाय पद्धति के अनुसार प्रचलित								

अवधि या ऐसी सेवा की स्वीकृति की तारीख से, जो भी कम हो, से पांच वर्ष से अधिक नहीं है।								
(vi) किसी क्षेत्रीय विनियामक द्वारा प्राप्त और अनुमत अग्रिम के रूप में या केंद्र या राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार								
(vii) प्रकाशन की ओर अभिदान के लिए अग्रिम के रूप में, चाहे वह प्रिंट में हो या इलेक्ट्रॉनिक में, ऐसे प्रकाशनों की प्राप्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाना है।								
किसी भी उधार वित्तीय संस्थान की शर्त के अनुसरण में असुरक्षित ऋणों के माध्यम से कंपनी के								

प्रमोटरों द्वारा लाई गई कोई भी राशि।								
अधिनियम की धारा 406 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निधि कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि।								
चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 4) के तहत चिट के संबंध में सदस्यता के माध्यम से प्राप्त कोई भी राशि।								
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुपालन में किसी भी सामूहिक निवेश योजना के तहत कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि।								
किसी स्टार्टअप कंपनी द्वारा प्राप्त पच्चीस लाख रुपये या उससे अधिक की कोई भी राशि,								

परिवर्तनीय नोट (इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या जारी करने की तारीख से पांच साल से अधिक नहीं की अवधि के भीतर चुकाने योग्य) के माध्यम से एक ही किश्त में, किसी व्यक्ति से।								
किसी कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि – (i) वैकल्पिक निवेश निधियां;								
(ii) घरेलू उद्यम पूंजी निधियां								
(iii) अवसंरचना निवेश न्यास;								
(iv) रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट;								
(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंड								

16 क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की गई:

(क) से (एजेंसी का नाम)

(ख) रेटिंग

क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

17 * जीएनएल फॉर्म का एसआरएन जिसमें डीपीटी -1 फाइल किया गया है

18 किसी कंपनी द्वारा प्राप्त बकाया धन या ऋण की कुल राशि लेकिन विचार नहीं किया गया

कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ग) के अनुसार जमा राशियों के रूप में
जैसा कि नियम 16(ए)(3) में निर्दिष्ट किया गया है

अनुलग्नक

(क) ट्रस्ट डीड की कॉपी

अधिकतम 2 MB

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(ख) जमाकर्ताओं की सूची (एक्सेल प्रारूप)

अधिकतम 2 MB

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(ग) वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो।

अधिकतम 2 MB

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा विधिवत प्रमाणित करता हूँ कि 'जमाराशियों का विवरण' और 'तरल परिसंपत्तियों के ब्यौरे' में निर्दिष्ट राशि सही है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप है।

***द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना**

डीएससी बॉक्स

* नाम

* पदनाम

* सदस्यता संख्या / अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संकल्प संख्या *

दिनांकित * द्वारा लेखक हूँ इस पर हस्ताक्षर करने के लिए फॉर्म है और घोषणा करता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताएं और इस प्रपत्र की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी इस रूप के अनुलग्नकों सहित सही, सही और पूर्ण है और कुछ भी सामग्री को दबाया नहीं गया है।

*** द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित किया जा करने के लिए**

डीएससी बॉक्स

*पदनाम



(निदेशक/प्रबंधक/ कंपनी सचिव/ सीएफओ / सीईओ)

* निदेशक का डीआईएन या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या सदस्यता का डीआईएन या पैन
कंपनी सचिव की संख्या

सेव कर

जमा करें

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूतों के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

यह ई-फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल पर और कंपनी वाई द्वारा दिए गए शुद्धता के कथन के आधार पर लिया गया है।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-फॉर्म फाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

यह ई-फॉर्म एतद्वारा अनुमोदित या पंजीकृत है

इस ई-फॉर्म को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

डीएससी बॉक्स



सत्यमेव जयते

प्ररूप सं. डीपीटी-4

प्रपत्र भाषा

○ अंग्रेजी ○ हिंदी

अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान जमाराशियों के संबंध में विवरण

[कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में]

फॉर्म भरने के लिए अनुदेश किट देखें

* सभी में चिह्नित सभी फ़िल्ड

कंपनी का विवरण

1 * कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

2 (क) * कंपनी का नाम

(ख) * पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) * ईमेल आईडी

3 * क्या कंपनी

☐ सार्वजनिक कंपनी☐ निजी कंपनी

4 * क्या कंपनी एक सरकारी कंपनी है

☐ हाँ☐ नहीं**जमा से संबंधी सूचना**

5. इस अधिनियम के प्रारंभ के समय कुल बकाया जमा

(क)* राशि (रुपये में)

(ख) *जमाकर्ताओं की संख्या

6. कालम 5 पर दिये कुल जमाओं का विवरण निम्नलिखित शीर्षों के तहत

विवरण	राशि (रुपये में)
* जमा देय है लेकिन भुगतान नहीं किया	
* उस पर देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	
* देय जमा लेकिन दावा नहीं किया गया	
* उस पर देय ब्याज लेकिन दावा नहीं किया गया	
* जमा अभी तक पुनर्भुगतान के लिए देय नहीं है	

7. * अगले तीन महीनों में पुनर्भुगतान के लिए देय जमा

8 * पुनर्भुगतान के लिए देय जमाराशियों के पुनर्भुगतान के लिए की गई व्यवस्था

अनुलग्नक

(क) * लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

अधिकतम 2 □□□□

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(ख) *जमाकर्ताओं की सूची

अधिकतम 40 एमबी

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

ग) स्वैच्छिक अनुलग्नक - यदि कोई हो तो

अधिकतम 2 □□□□

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

घोषणा

मैं संकल्प संख्या के माध्यम से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत हूँ
 *दिनांकित * (दिन/माह/वर्ष) इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताएं और इस प्रपत्र की विषय वस्तु के संबंध में उसके तहत बनाए गए नियमों और उसके आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी इस रूप के अनुलग्नकों सहित सही, सत्य और पूर्ण है और कुछ भी सामग्री को छुपाया नहीं गया है।

डीएससी बॉक्स

डीएससी बॉक्स

* द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित करने के लिए

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/सीईओ/सीएफओ/कंपनी सचिव)

* निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या डीआईएन या पैन

प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

□□□

जमा करें

टिप्पणी: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें क्रमशः झूठे विवरण/प्रमाण पत्र के लिए दण्ड और झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

यह ईएफओआरएम इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के बयान के आधार पर लिया गया है।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-फॉर्म दाखिल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

”।

[फा. सं. 01/8/2013-सीएल-V (भाग- VI)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 256(अ), तारीख 31 मार्च 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे-

- (1) तारीख 6 जून, 2014 की सा.का.नि. 386(अ);
- (2) तारीख 31 मार्च, 2015 की सा.का.नि. 241(अ);
- (3) तारीख 15 सितंबर, 2015 की सा.का.नि. 695(अ);
- (4) तारीख 29 जून, 2016 की सा.का.नि. 639(अ);
- (5) तारीख 11 मई, 2017 की सा.का.नि. 454(अ);
- (6) तारीख 19 सितंबर, 2017 की सा.का.नि. 1172(अ);
- (7) तारीख 5 जुलाई, 2018 की सा.का.नि. 612(अ);
- (8) तारीख 22 जनवरी, 2019 की सा.का.नि. 42(अ);
- (9) तारीख 30 अप्रैल, 2019 की सा.का.नि. 341(अ);
- (10) तारीख 07 सितंबर, 2020 की सा.का.नि. 548(अ)।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2022

G.S.R. 663(E).—In exercise of the powers conferred by clause (31) of section 2, section 73 and section 76 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014,—

(a) in rule 16, after the words “auditor of the company”, the words, letters and figure “and declaration to that effect shall be submitted by the auditor in Form DPT-3” shall be inserted;

(b) in the Annexure, for Form DPT-3 and Form DPT-4, the following shall be substituted, namely: -



“Form No. DPT-3

Return of deposits

Form language



English



Hindi

[Pursuant to rule 16 and rule 16A of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

Refer instruction kit for filing the form

*All fields marked in * are mandatory*

Company Information

1 *Corporate Identity Number (CIN)

2 (a) *Name of the Company

(b) *Registered office address

(c) *email id

3 *Purpose of the Form

- ☐ Return of Deposit
- ☐ Particulars of transactions by a company not considered as deposit as per rule 2(1)(c) of the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014
- ☐ Return of Deposit and particulars of transactions by a company not considered as deposit
- ☐ Onetime Return for disclosure of details of outstanding money or loan received by a company but not considered as deposits as per rule 2(1)(c) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014

4 *Whether the company is

☐ Public Company ☐ Private Company

5 *Whether the company is a government company

☐ Yes ☐ No

6 *Objects of the company

7 Whether deposits have been accepted from public

☐ Yes ☐ No

8 (a) *Period for which return is being filed (DD/MM/YYYY)

(b) Date of issue of advertisement or circular (DD/MM/YYYY)

(c) Date of expiry of validity of advertisement or circular (DD/MM/YYYY)

9 Net Worth as per the latest audited balance sheet preceding the date of the return-

Sl.No	Particulars	Amount (in Rupees)
a(i)	Paid up share capital	
(ii)	Free reserves	
(iii)	Securities Premium Account	
b(i)	Accumulated Loss	
(ii)	Balance of deferred revenue expenditure	
(iii)	Accumulated unprovided depreciation	
(iv)	Miscellaneous expense and preliminary expenses	
(v)	Other intangible assets	
c	Net worth (a) – (b)	

Sl.No	Particulars	Amount (in Rupees)
d	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in case of all companies other than specified IFSC public companies and private companies)	

10 (a) Total number of deposit holders as on 1st April

(b) Total number of deposit holders at the end of financial year

11 Particulars of deposits (In Rupees)

(a) Amount of existing deposits as at 1st April

(b) Amount of deposits renewed during the year

(c) Amount of deposits accepted during the year

(c)(i) Secured deposits

(ii) Unsecured deposits

(d) Amount of deposits repaid during the year

(e) Balance of deposits outstanding at the end of the year

12 (a) Amount of deposits that have matured but not claimed

(b) Amount of deposits that have matured and claimed but not paid

13 Particulars of liquid assets

(a) Amount of deposits maturing on or before 31st March next year

and following next year

(b) Amount required to be invested in liquid assets

(c) Details of liquid assets

(d) (i) Amount in current or other deposits account, free from charge or lien, with any scheduled bank

(ii) Unencumbered securities of Central/State Government

Face Value

Market Value

(iii) Unencumbered trust securities

Face Value

Market Value

14 Particulars of charge

(a) Number of charges

(b) SRN of CHG-1/CHG-9 filed for creation of charge

15 Particulars of receipt of money or loan by a company but not considered as deposits, at the end of financial year, in terms of clause (c) of sub-rule 1 of rule 2 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014

Particulars	Details of loan (in INR)					Ageing of loan (in Years)		
	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
Any amount received from – (i) the Central Government; or (ii) a State Government; or any amount received from any other source whose repayment is guaranteed by								

the Central Government or State Government; or								
(iii) any amount received from a local authority; or								
(iv) any amount received from statutory authority constituted under an Act of Parliament or a State Legislature								
Any amount received from –								
(i) Foreign Governments; or								
(ii) Foreign or international banks;								
(iii) Multilateral financial institutions;								
(iv) Foreign Governments owned development financial institutions;								
(v) Foreign export credit agencies;								
(vi) Foreign collaborators;								
(vii) Foreign body corporates;								
(viii) Foreign citizens;								
(ix) Foreign authorities or;								
(x) Persons residents outside India subject to the provisions								

of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).								
Any amount received as - (i) A loan or facility from any banking company; or								
(ii) From the state Bank of India or any of its subsidiary banks; or								
(iii) From a banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); or (iv) A corresponding new bank as defined in clause (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980); or (v) From a cooperative bank as defined in clause (b-ii) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).								
Any amount received as loan or financial assistance from - (i) Public								

Financial Institutions notified by the Central Government; or (ii) Any regional financial institutions; or (iii) Insurance companies; or (iv) Scheduled Banks as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).								
Any amount received against issue of commercial paper or any other instruments issued in accordance with the guidelines or notification issued by the Reserve Bank of India.								
Any amount received by the company from any other company.								
Any amount received and held pursuant to an offer made in accordance with the provisions of the Act towards subscription to any securities including share application money or advance towards allotment of securities pending allotment, so long as such amount is appropriated only against the								

amount due on allotment of securities applied for.								
Any amount received from a person who, at the time of the receipt of the amount, was a director of the company or the relative of the director of a private company.								
(A) Any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by a first charge or a charge ranking pari passu with the first charge on any assets referred to in Schedule III of the Act excluding intangible assets of the company; or (B) bonds or debentures compulsorily convertible into shares of the company within ten years.								
Any amount raised by the issue of non-convertible debentures not constituting a charge on the assets of the company and listed on recognized stock exchange as per applicable regulations made by Securities and Exchange Board of India.								

Any amount received from an employee of the company not exceeding his annual salary under a contract of employment with the company in the nature of non-interest bearing security deposit.								
Any non-interest bearing amount received and held in trust.								
Any amount received in course of, or for the purposes of the business of the company- (i) As an advance for supply of goods or provision of services accounted for in any manner whatsoever provided that such advance is appropriated against supply of goods or provision of services within a period of three hundred and sixty-five days from the date of acceptance of such advance. (ii) As advance accounted for in any manner whatsoever, received in connection with consideration for immovable property under an agreement or arrangement, provided that such advance is								

adjusted against such property in accordance with the terms of agreement or arrangement.								
(iii) As security deposit for performance of the contract of supply of goods or provision of services.								
(iv) As advance received under long term projects for supply of capital goods except those covered under item (b)								
of sub-clause (xii) clause (c) of sub- rule (1) of rule (2) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.								
(v) As an advance towards consideration for providing future services in the form of a warranty or maintenance contract as per written agreement, if the period for providing such services does not exceed the period prevalent as per common business practice or five years, from the date of acceptance of such service whichever is less.								
(vi) As advance received and allowed by any								

sectoral regulator or in accordance with directions of Central or State Government								
(vii) As an advance for subscription towards publication, whether in print or electronic to be adjusted against receipt of such publications.								
Any amount brought in by promoters of the company by way of unsecured loans in pursuance of the stipulation of any lending financial institution.								
Any amount received by a Nidhi company in accordance with the rules made under section 406 of the Act.								
Any amount received by way of subscription in respect of chit under the Chit Funds Act, 1982(4 of 1982).								
Any amount received by company under any collective Investment scheme in compliance with regulations framed by the Securities and Exchange Board of India.								
Any amount of twenty-five lakh rupees or more								

received by a startup company, by way of convertible note (convertible into equity shares or repayable within a period not exceeding five years from the date of issue) in a single tranche, from a person.								
Any amount received by a company from – (i) Alternate Investment Funds; (ii) Domestic venture Capital Funds (iii) Infrastructure Investments Trusts; (iv) Real Estate Investment Trusts; (v) Mutual Funds registered with the Securities and Exchange Board of India								

16 Credit Rating obtained:

(a) From (Name of the agency)

(b) Rating

(c) Date of obtaining credit rating (DD/MM/YYYY)

17 *SRN of GNL form in which DPT-1 is filed

18 Total amounts of outstanding money or loan received by a company but not considered

as deposits in terms of rule 2(1)(c) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014
as specified in rule 16(A)(3)

Attachments

(a) Copy of trust deed

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(b) List of depositors (excel format)

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(c) Optional attachment,

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

Declaration by Statutory Auditor

I hereby duly certify that the amount specified in 'Particular of deposits' and 'Particulars of liquid assets' is correct and in line with the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

*Name

*Designation

*Membership Number/Certificate of Practice Number

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution no *
Dated

* to sign this is form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the

rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

*Designation

(Director/Manager/Company Secretary/CFO/ CEO)

*DIN of the director OR DIN or PAN of the manager or CEO or CFO OR membership
number of the company secretary

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This eForm is hereby approved or registered

This eForm is hereby rejected

Digital signature of the authorising officer

DSC BOX

Date of signing (DD/MM/YYYY)



Form No. DPT-4

Form language

☒ English ☐ Hindi

सत्यमेव जयते

Statement regarding deposits existing on the commencement of the Act

[Pursuant to rule 20 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

*Refer instruction kit for filing the form
All fields marked in * are mandatory*

Particulars of the company

1 *Corporate Identity Number (CIN)

2 (a) *Name of the company

(b) *Registered office address

(c) *Email Id

3 *Whether the company is
Company

☐ Public Company ☐ Private

4 *Whether the company is a government company

☐ Yes ☐ No

Deposit related information

5 Total deposits outstanding as on the commencement of this Act

(a) *Amount (in Rs.)

(b) *Number of depositors

6 Details of total deposits mentioned at 5 above under following heads

Particulars	Amount (in Rs.)
*Deposits due but not paid	
*Interest due thereon but not paid	
*Deposits due but not claimed	
*Interest due thereon but not claimed	
*Deposits not yet due for repayment	

7 *Deposits due for repayment in next three months

8 *Arrangements made for repayment of deposits due for repayment

Attachments

(a) *Auditor's certificate

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(b) *List of depositors

Max 40 MB

Choose

Remove

Download

(c) Optional attachment(s) - if any

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number *

(DD/MM/YYYY) to sign this form and declare that all the requirements of

the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.

I also declare that all the information given herein above is true, correct, and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

To be digitally signed by**Designation**

(Director/Manager/CEO/ CFO/Company secretary)

DSC BOX

*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company secretary

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.**This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.**

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

[F.No. 01/8/2013 CL-V(Vol.VI)]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended *vide* notification numbers –

- (1) G.S.R. 386(E), dated the 6th June, 2014;
- (2) G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2015;
- (3) G.S.R. 695(E), dated the 15th September, 2015;
- (4) G.S.R. 639(E), dated the 29th June, 2016;
- (5) G.S.R. 454(E), dated the 11th May, 2017;
- (6) G.S.R. 1172(E), dated the 19th September, 2017;
- (7) G.S.R. 612(E), dated the 5th July, 2018;
- (8) G.S.R. 42(E), dated the 22th January, 2019;
- (9) G.S.R. 341 (E), dated the 30th April, 2019;
- (10) G.S.R. 548 (E), dated the 07th September, 2020.